न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हापुड़।
उपस्थितः– अजय कुमार सिंह–प्रथम, एच.जे.एस. (UP-2009)
CNR No.-UPHP010039772026

द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1090 सन 2026

आबिद पुत्र जमामुद्दीन निवासी ग्राम नंगौला अमीपुर, भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।

अपराध संख्या 21 सन 2026
धारा–420, 467, 468, 471, 506 भा0दं0सं0
थाना पिलखुवा, जिला हापुड़।

दिनांक 08.06.2026:–

1. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त की ओर से उपरोक्त मामले में प्रस्तुत किया गया है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में आवेदक/अभियुक्त का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बल न दिये जाने के कारण दिनांक 04.05.2026 को निरस्त किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार, वादी मुकदमा विशाल मित्तल के प्रार्थनापत्र पर न्यायालय पारित आदेश के अनुपालन में थाना हाजा पर इस आशय तहरीर अंकित की गयी कि उसने दिनांक 21.07.2012 को भूमि खसरा नम्बर 176 रक्बा 0.24514 है0 ग्राम पीपलाबन्दपुर परगना डासना, तहसील धौलाना, थाना पिलखुवा, जिला हापुड़ क्रय की थी। वह अपने परिवार के साथ दिल्ली में निवास करता है। उसके द्वारा खरीदी गयी वर्णित भूमि को विकय करने के लिए वर्णित भूमि की फर्द/खतौनी ली तो पता चला कि दिनांक 16.06.2022 को उसके नाम की जगह वर्णित भूमि पर राहुल गुप्ता पुत्र गोपाल गुप्ता का नाम चढ़ा हुआ है। उसने अविलम्ब उपनिबन्धक धौलाना के पास जाकर बैनामा दिनांकी 16.06.2022 जो बही संख्या 1 जिल्द संख्या 5316 के पृष्ठ संख्या 201 से 216 तक क्रमांक 6965 पर रजिस्ट्रीकृत है की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की, तब उसका पता चला कि उसके नाम से किसी आात व्यक्ति ने अपना फोटो लगाकर तथा उसका हाल पता महाराष्ट्र दिखाकर व फर्जी व कूटरचित आधार संख्या 894536217124 दर्शाकर गवाह आबिद पुत्र जमानुद्दीन व गवाह कपिल पुत्र रामपाल व क्रेता राहुल गुप्ता पुत्र गोपाल गुप्ता, उसके साथ साजकर स्वयं को लाभ पहुंचाने के लिए छल कपट कर कूटरचित वर्णित भूमि का बैनामा कर लिया है। उसने उक्त के संबंध में राहुल गुप्ता पुत्र गोपाल गुप्ता से बात की, तो राहुल गुप्ता ने उसको अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धमकी दिलवाकर कहा कि यदि जिले हापुड़ या वर्णित कृषि भूमि पर नजर आये तो उसे व उसके परिवार का पता नहीं चलेगा, उनकी शासन प्रशासन में ऊपर तक जान पहचान है। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जब तुम्हारा जीवन ही नहीं बचेगा तो इस जमीन का क्या करोगे, उक्त सभी लोगों ने मिलकर उसकी वर्णित कृषि भूमि का फर्जी व कूटरचित बैनामा बनाकर हड़प लिया है। उसे व उसके परिवार को उक्त सभी से जान का खतरा है। उसने कई मर्तबा थाना पिलखुवा जाकर उक्त सभी व्यक्तियों के खिलाफ मौखिक व लिखित शिकायत की है, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिसके उपरान्त उसने दिनांक 08.12.2025, जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 09.12.2025 को हुई को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद हापुड़ को बजरिये रजिस्टर्ड डाक शिकायती प्रार्थनापत्र प्रेषित किया, परन्तु उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग ढाई वर्ष विलम्ब से लिखायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त को फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन की आवश्यकता थी। आवेदक/अभियुक्त को जमीन बेचने खरीदने वाले दलाल उपेन्द्र उर्फ रविन्द्र निवासी ग्राम खैरपुर ने उक्त जमीन दिलवाई थी, जिसकी पैमेन्ट भी

Digitally signed by AJAY KUMAR SINGH
Date: 2026.06.08 15:20:45 IST
Reason: Bail order
Location: District and Sessions Court,hapur

आवेदक/अभियुक्त द्वारा कर दी गयी थी। आवेदक/अभियुक्त न तो उक्त भूमि को खरीदने वाला है और ना ही आवेदक/अभियुक्त उक्त जमीन को बेचने वाला है। आवेदक/अभियुक्त तो केवल बैनामे के समय गवाह था। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। वादी मुकदमा धोखाधड़ी करने व करवाने में शातिर अपराधी रहा है। आवेदक/अभियुक्त के पास बैनामें कराने के पश्चात् वादी मुकदमा आया। वादी मुकदमा के साथ चार अन्य व्यक्ति भी थे, जिन्होंने वादी मुकदमा को विशाल मित्तल के नाम से प्रसारित किया, तब आवेदक/अभियुक्त को अपने साथ धोखा होने का पता चला। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध झूठे तथ्यों के आधार पर जानबूझकर तंग व परेशान करने की नियत से मुकदमा दायर किया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कूटरचना एवं धोखाधड़ी नहीं की गयी है। आवेदक/अभियुक्त पर जो अपराध बनाया गया है वह मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। उक्त बनाया अपराध सिविल प्रकृति का है और आवेदक/अभियुक्त द्वारा पूर्व में सिविल वाद न्यायालय में दायर किया था। आवेदक/अभियुक्त विवेचना में पूर्ण सहयोग कर रहे है। आवेदक/अभियुक्त मान्य न्यायालय की सन्तुष्टि हेतू उचित व सम्मानित जमानत दाखिल करने को तैयार हैं। इस प्रकार आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का अनुरोध किया गया।

4. उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए, कथन किया है कि आवेदक/अभियुक्त ने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर, वादी मुकदमा का फर्जी व कूटरचित आधार कार्ड तैयार करके, वादी मुकदमा के स्थान पर अन्य किसी व्यक्ति को खड़ा करके, अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य वादी मुकदमा की सम्पत्ति का पंजीकृत विक्रय पत्र सह अभियुक्त राहुल गुप्ता के पक्ष में कराया। आवेदक/अभियुक्त उक्त पंजीकृत विक्रयपत्र का गवाह है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गंभीर प्रकृति का है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की मांग की गयी है।

5. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक के तर्क सुने तथा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।

6. विधि–व्यवस्था **अदरी धरन दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2005) 4 एस0सी0सी0 303** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि, अभियुक्त की गिरफ्तारी का उद्देश्य अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना मात्र नहीं है, बल्कि इसके अतिरिक्त अन्य उद्देश्य भी होते हैं। अभियुक्त से घटना के उद्देश्य, तैयारी, घटना से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों की जानकारी, घटना के परिणाम आदि के सम्बन्ध में विस्तृत पूछताछ की आवश्यकता हो सकती है। विवेचना के बाधारहित अग्रसारित होने, साक्षी व पीड़ित व्यक्ति से सम्बन्धित व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने व समाज में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए अभियुक्त की स्वतंत्रता का हनन आवश्यक हो सकता है। उक्त सभी कारणों से अभियुक्त की गिरफ्तारी विवेचना का आवश्यक अंग हो जाती है। न्यायालय को संज्ञेय अपराध की विवेचना व उसके सम्बन्ध में गिरफ्तारी में सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

7. विधि–व्यवस्था **पी० चिदम्बरम बनाम एन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टोरेट क्रिमिनल अपील नं0–1340/2019** के प्रस्तर–60 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि, संज्ञेय अपराध की विवेचना का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से विवेचना करने वाली एजेंसी के पास होता है, जिसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक कि विवेचक अपने क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग नहीं करता और विधि द्वारा दी गयी परिसीमाओं में अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। धारा–438 दं०प्र०सं0 द्वारा प्रदत्त शक्ति असाधारण शक्ति है, जिसके प्रयोग में संयम बरतना चाहिए। गिरफ्तारी पूर्व जमानत केवल अपवादिक मामलों में ही दी जानी चाहिए। अग्रिम जमानत कुछ सीमा तक अपराध की विवेचना में हस्तक्षेप करती है। अतः न्यायालय को अग्रिम जमानत देने के अधिकार का प्रयोग करते समय अत्यन्त सावधान रहना चाहिए। यह असाधरण अनुतोष असाधारण परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **क्रिमिनल अपील संख्या–1834/2022 सुमिथा प्रदीप बनाम अरूण कुमार सी. के. एवं अन्य** के मामले में अवधारित किया है कि, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण में न्यायालय को सर्वप्रथम यह देखना चाहिए कि, अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला है या नहीं, तदुपरान्त अपराध की प्रकृति तथा उसके सम्बन्ध में दिये जा सकने वाले दण्ड पर विचार करना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकरण में स्पष्ट रूप से अवधारित किया है कि, ऐसे अनेक मामले हो सकते हैं, जिनमें हिरासत में लेकर विवेचना करने की आवश्यकता न हो, किन्तु मात्र उक्त आधार पर प्रथम दृष्टया मामले को अनदेखा करते हुए अग्रिम जमानत स्वीकार नहीं की जा सकती। उक्त मामले में

माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अवगत कराया गया कि, प्रकरण में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है तथापि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय केरला उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अग्रिम जमानत के आदेश को अपास्त कर दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय से स्पष्ट है कि, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय न्यायालय को अभियुक्त के विरूद्ध उपलब्ध प्रथम दृष्टया मामले पर विचार करना चाहिए और यदि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता हो तो अग्रिम जमानत स्वीकार नहीं की जा सकती।

9. माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि–व्यवस्था **सुशीला अग्रवाल बनाम दिल्ली राज्य व अन्य (2020) 5 एस0एस0सी0 (1) (संवैधानिक पीठ)** में यह मत व्यक्त किया है कि, अग्रिम जमानत एक आपवादिक अधिकार है, जिसका अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में ही प्रयोग करना चाहिए और यह कोई निर्वाद अधिकार नहीं है।

10. माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी विधि–व्यवस्था **डॉक्टर नरेश कुमार मंगला बनाम श्रीमती अनीता अग्रवाल व अन्य ए0आई0आर0 2021 (एस0सी0) 277 (तीन जज खण्डपीठ)** में यह सुस्पष्ट मत व्यक्त किया है कि, अग्रिम जमानत केवल उन आपवादिक परिस्थितियों में स्वीकार की जा सकती है, जहां न्यायालय का प्रथम दृष्टया यह समाधान है कि, आवेदक को कथित अपराध में झूठा फंसाया गया है और वह अपनी स्वतंत्रता का दुरूपयोग नहीं करेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी इस विधि व्यवस्था में अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र व नियमित जमानत प्रार्थनापत्र के अन्तर को स्पष्ट करते हुए यह भी मत व्यक्त किया है कि, यदि आवेदक/अभियुक्त पर लगाये गये आरोप न्याय के उद्देश्य को अग्रसारित करने वाले दर्शित न होकर आवेदक/अभियुक्त को अपमानित व आहत करने के उद्देश्य से लगाया जाना दर्शित होता हो, तो उसे अग्रिम जमानत दी जा सकती है।

11. अग्रिम जमानत देने के सम्बन्ध में न्यायालय को अन्य बातों के अतिरिक्त अभियोग की प्रकृति और गम्भीरता व इस सम्भाव्यता पर ध्यान देना चाहिए कि, आवेदक द्वारा अभियुक्त को ऐसे गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमान करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया है।

12. आवेदक/अभियुक्त पर आरोप है कि उसने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर, वादी मुकदमा का फर्जी व कूटरचित आधार कार्ड तैयार करके, वादी मुकदमा के स्थान पर अन्य किसी व्यक्ति को खड़ा करके, अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य वादी मुकदमा की सम्पत्ति का पंजीकृत विक्रय पत्र सह अभियुक्त राहुल गुप्त के पक्ष में कराया। आवेदक/अभियुक्त उक्त पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांकित 1606.2022 का गवाह है। दौरान विवेचना विवेचक को दिये गये बयान में वादी मुकदमा ने आवेदक/अभियुक्त व सह अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों का समर्थन किया है। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांकित 21.07.2012 के आधार पर वादी मुकदमा को विवादित सम्पत्ति का स्वामी होने का साक्ष्य संकलित किया गया है। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांकित 16.06.2022 का गवाह होने का साक्ष्य संकलित किया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है। वर्तमान प्रकरण की विवेचना अभी प्रचलित है और कई महत्वपूर्ण साक्ष्य का संकलन किया जाना अभी शेष है। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र केवल मात्र उन अपवादिक परिस्थितियों में स्वीकार किया जा सकता है, जहां आवेदक/अभियुक्त को अपमानित या आहत करने के उद्देश्य से आरोप लगाया गया हो, जो न्याय के उद्देश्यों को अग्रसारित करने वाले न हों। वर्तमान मामले में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रथम दृष्टया आवेदक/अभियुक्त को मात्र क्षति पहुंचाने या अपमानित करने के लिए झूठा नामित किया जाना प्रतीत नहीं होता है। आवेदक/अभियुक्त को इस स्तर पर अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार नहीं है।

13. उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का पर्याप्त आधार नहीं पाता है।

<u>आदेश</u>

तदनुसार आवेदक/अभियुक्त **आबिद पुत्र जमामुद्दीन** की ओर से प्रस्तुत द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र **निरस्त** किया जाता है।

दिनांक 08.06.2026

(अजय कुमार सिंह प्रथम)
सत्र न्यायाधीश,

हापुड़।